

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2016–2017

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक
/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु लिकिवड आक्सीजन की
आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु ई-निविदा फार्म

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 5000/-
(रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक-7 / 2016–17

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई—निविदा विज्ञप्ति क्र. 7 / 2016—17

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	21-09-2016 11.00 AM	14-10-2016 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	21-09-2016 11.00 AM	14-10-2016 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	21-09-2016 11.00 AM	19-10-2016 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	21-10-2016 12.30 PM	—	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	21-10-2016 12.35 PM	—	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	—	

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 19.10.2016 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते हैं। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई—मेल:— jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662—242104
संपर्क:— 07662—242104,+91—9179705483,+91—9074466110

निविदा प्रस्तुत करनें संबंधी सामान्य निर्देशः—

- प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सील्ड लिफाफे ए एवं बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः—

- धरोहर राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य/व्यवसाय का उल्लेख हो।
3. वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (एसेसमेन्ट ईयर 15–16 एवं 16–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
4. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ—पत्र।
5. 100 रु. के नान—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2015–16)
8. जीवित ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति(अधिकृत डीलर के लिए)/जीवित मैनुफैक्चरिंग लाईसेन्स की छायाप्रति निर्माता के लिए।
9. वैध वाणिज्य कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
10. टिन रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।

लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु नियम एवं शर्ते

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु वर्ष 2016–17 के लिये ई—निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाईट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म करने का मूल्य रु. 5000.00(पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रुपये 2,00,000/- (दो लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नहीं होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफट पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों मे संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. निविदा निर्माताओं/अधीकृत डीलरों की ही स्वीकृत की जावेगी। निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
6. निविदा प्रपत्र में नियत स्थान पर मूल्य दर, परिवहन व्यय सम्मिलित करते हुये शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित की जानी चाहिये। शासन द्वारा निर्धारित कर पृथक से देय होगें तथा इसे पृथक से दर्शाना होगा ।
7. निविदा प्रपत्र की प्रविष्टियों में उपरिलेखन एवं काट—पीट सामान्यतः वर्जित है। तथापि न टालने योग्य त्रुटि का सुधार कर निविदाकार को अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।

8. निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।
9. निविदा के साथ लिकिड आक्सीजन प्रदायणी एवं प्लांट की स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रच. लित अनुज्ञा पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा तथा निर्माता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अनुपालन और सुरक्षा संगठन की जरूरत एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से मंजूरी (लाईसेंस) की आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।
10. निविदा के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वाणिज्यिक कर के चुक्ता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. निविदा के लिफाफे के ऊपर निविदाकार द्वारा सुस्पष्ट लिखावट में लिकिड आक्सीजन की आपूर्ती एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा अंकित की जानी चाहिये।
12. निविदाकार को मेडिकल ग्रेड की लिकिड आक्सीजन जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच. मे प्रदाय करनी होगी। इसकी गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा। लिकिड आक्सीजन भण्डारण स्थान(टैंक) से चिकित्सालय कि पाईप लाईन प्लांट तक लाने में यदि किसी भी प्रकार का लिकेज अथवा दुर्घटना घटती है तो उक्त घटना के लिये निविदाकार पूर्णत उत्तरदायी होगा।
13. लिकिड आक्सीजन के भण्डारण हेतु संजय गांधी एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय मे 10000–10000 लीटर क्षमता के 2 लीकिड आक्सीजन टैंक स्थापित करना होगा।
14. टैंक स्थापित करने हेतु निविदाकार को केवल स्थान उपलब्ध कराय जायेगा। टैंक एवं उसकी स्थापना का व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
15. टैंको के रखरखाव की जिम्मेदारी तथा उस पर होने वाला व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
16. टैंक स्थापित करने हेतु सफल निविदाकार को केवल स्थान उपललब्ध कराया जावेगा। टैंक एवं उसकी स्थापना का संपूर्ण व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
17. निविदाकार को जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच मे अनवरत (24X7) लिकिड आक्सीजन .. की सप्लाई करनी होगी। तकनीकी सटडाउन की अवस्था में कम्प्रैस्ड सिलेण्डर द्वारा आक्सीजन उपलब्ध कराना निविदाकार की जिम्मेवारी होगी। इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. तकनीकी सटडाउन की अवधि 7 दिन से ज्यादा नहीं होगी तथा अधिक सटडाउन होनें की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के पास होगा।
19. टैंक मे आई तकनीकी खराबी को अतिशीघ्र सुधरवाने की जिम्मेदारी निविदाकार को होगी तथा इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
20. टैंक मे हमेशा पर्याप्त मात्रा मे लिकिड ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
21. लीकिड आक्सीजन की दर प्रति क्यूबिक मीटर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज (परिवहन व्यय) सहित तथा टैक्स अलग से एवं टैंक के मासिक किराये की दर अलग-अलग स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यय या शुल्क देय नहीं होगा। लिकिड ऑक्सीजन की अनुमानित खपत लगभग 15 हजार क्यूबिक मी. प्र. तिमाह होगी। टैंक का किराया एवं अनुमानित खपत की कीमत जोड़कर जिस निविदाकार की दरें न्यूनतम होंगी उसी निविदाकार की दरें स्वीकार की जावेगी।
22. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अमान्य करने का अधिकार होगा।
23. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
24. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः पांच वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी। आदेश प्रथमतः एक वर्ष हेतु जारी किया जावेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि आगामी चार वर्ष हेतु बढ़ा दी जावेगी।
25. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।

26. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा यदि आक्सीजन की आपूर्ति में हीला-हवाली या टाल-मटोल करके विलम्ब किया जाता है, तो आवश्यकता के अनुरूप खुले बाजार से खरीद की जावेगी। इसमें अधिक भुगतान की वसूली निविदाकार के देयकों से वसूली जावेगी। इसके बावजूद यदि अधिक भुगतान की वसूली शेष रह जाती है तो उसके जमा अमानत राशि 2,00000.00 (दो लाख मात्र) से काट ली जावेगी।
27. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात किया जावेगा, जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
28. लिकिवड आक्सीजन मरीजों की जीवन रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। अतः बिना पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारणों के अचानक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न किये जाने वाले कृत्य को मरीजों का जीवन खतरे में डालना निरुपित किया जावेगा। इसके लिये सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही करने का विकल्प अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
29. निविदा में संलग्न प्रपत्रों को पूर्ण कर निविदा के साथ भेजा जावे।
30. यदि निविदाकार द्वारा लिकिवड आक्सीजन सप्लाई आगे के लिये किसी कारणवश बंद की जाती है तो इसकी लिखित सूचना तीन माह पूर्व निविदाकार द्वारा इस कार्यालय को दी जावेगी, ताकि कार्यालय सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।
31. लिकिवड आक्सीजन टैंक प्लाण्ट के संधारण की व्यवस्था निविदाकार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
32. निविदाकार को स्वयं के व्यय पर चिकित्सालय द्वारा नामित किए गए कर्मचारियों को प्लाण्ट संचालन के पूर्व संचालन संबंधी प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
33. निविदाकार को लिकिवड आक्सीजन टैंक से एस.जी.एम.एच. के बेसमेंट तथा जी.एम.एच. में स्थित सेन्ट्रल मेडिकल पाइप लाइन तक जोड़ने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
34. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रु. 1000/- के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात 90 दिवस के लिकिवड प्लाण्ट की स्थापना कर प्लाण्ट से प्रदायगी प्रारम्भ करनी होगी।
35. लिकिवड आक्सीजन की वास्तविक खपत के आंकलन हेतु सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर मापक यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।
36. प्लाण्ट से लिकिवड आक्सीजन की प्रदायगी हेतु आवश्यक बिजली एवं पानी की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावेगी।
37. भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग (National Pharmaceutical pricing authority) नई दिल्ली द्वारा मेडिकल आक्सीजन गैस, नाईट्रोजन आक्साईड गैस विक्रय की सीलिन्ज प्राइस (Plus local taxes as applicable) निर्धारित की गई हो, तो उसको ध्यान में रखकर सीमा के अनुसार ही दर भरी जावे।
38. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु (निविदाकार अपने लेटरहेड में प्रस्तुत करें)
प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषय:- लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा बाबत् ।

—0—

महोदय,

मेरे द्वारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में लिकिवड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं। अतः आनलाईन निविदा फार्म की हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निविदाकार का पूरा नाम
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.
4. पिता का नाम
5. पत्राचार का पता
6. स्थायी पता
7. ई-मेल / फैक्स नं.
8. बैंक का नाम/शाखा/खाता संख्या/आई.एफ.एस. कोड.....
.....

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

प्रपत्र – ए

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

लिकिवड आकसीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्रमांक	डी.डी क्रमांक / दिनांक	बैंक का नाम	राशि	वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....
निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)
निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें ।	
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख) का डिमाण्ड ड्राफट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें निविदाकृत कार्य/व्यवसाय का उल्लेख हो				
4.	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (एसेसमेन्ट ईयर 15–16 एवं 16–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ—पत्र				
6	100 रु. के नान—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)				
7.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति				
8.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी । (रु 50.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2015–16)				
9.	जीवित ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति(अधिकृत डीलर के लिए) अथवा जीवित मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस की छायाप्रति निर्माता के लिए ।				
10.	वैध वाणिज्य कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट				
11.	टिन रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति ।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

घोषणा पत्र(शपथ पत्र)

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे /हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा सप्लाई की गई लिकिवड आक्सीजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई०/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाच लवित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....
.....व पता.....
2. गवाह का नाम.....
.....व पता
.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम..... | पता..... |
| संस्था का नाम एवं पता..... | |

लिकिंड आक्सीजन एवं प्लांट हेतु निविदा वर्ष 2016–017

दर पत्रक(केवल आनलाईन भरा जावे)

लिकिंड आक्सीजन की आपूर्ति एवं प्लांट की स्थापना हेतु आपके कार्यालय से अभिप्राप्त निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन निविदा दरे प्रस्तुत हैं।

क्र.	विवरण	दर	
		अंको में	शब्दो में
1.	लिकिंड आक्सीजन की दर प्रति क्यूबिक मीटर परिवहन व्यय सहित		
2.	लिकिंड आक्सीजन टैंक का किराया प्रति माह(10–10 हजार लीटर क्षमता के 02 टैंक)		
	योग (1+2)		
	देय कर पृथक–पृथक (यदि कोई हो)		

निविदाकर्ता/सेवादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पूर्ण पता
संस्था की सील